

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2025—फाल्गुन 16, शक 1946

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2025

क्र. यूडीएच-3-0020-2024-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत मैहर निवेश क्षेत्र की सीमाओं में वृद्धि कर संशोधित निवेश क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित करता है, पूर्व गठित मैहर निवेश क्षेत्र में नवीन 27 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की गई हैं :—

अनुसूची

मैहर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में — बड़ी खोल, कल्याणपुर, जीतनगर, गहवारा, पिपराकलों एवं मऊ ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

पूर्व में — मऊ, पहाड़ी, नरौरा, बेलदरा, डेलहा एवं सोनवारी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

दक्षिण में — सोनवारी, गोरैयाखुर्द, मनी, धतुरा एवं नकतारा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

पश्चिम में — नकतारा, दांडी, सहिलारा, कोलहाई, अरकण्डी, मानपुर एवं बड़ी खोल ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.